न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

तारीख हुक्म	:: आदेश :: **आशाराम बनाम सरकार** **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 87/2026, पुलिस थानाः सूरवाल** **सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र संख्याः 1183/2026**	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
11.08.2026	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थी आशाराम की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 497/503 BNSS का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी आशाराम के अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि पुलिस थाना **सूरवाल** ने दिनांक **09.05.2026** को अवैध बजरी के संबंध में प्रार्थी के उक्त वाहन को गलत तरीके से जप्त कर लिया है एवं उक्त पुलिस थाना ने पंचनामा एवं अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए खनिज एवं भू विज्ञान विभाग सवाई माधोपुर को सूचित किया था। जिसमें The Miner Mineral Concession Rule 2017 (RMMCR) के तहत धारा 54/60 अनुसार जप्ती तैयार की थी। जप्ती के उपरान्त खनिज विभाग NGT राशि खनिज कीमत व कम्पाउन्डिंग फीस की मांग करेंगे। जमा कराने पर तुरन्त प्रभाव से वाहन रिलीज कर दिया जावेगा। अगर उक्त अधिरोपित राशि जमा नहीं कराई जाती है तो RMMCR नियम 2017 की धारा 54(5) के तहत अभिग्रहित करने वाला अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को 72 घण्टे के अंदर सूचित करेंगे। ऐसी सूचना लिखित में दी जावेगी एवं RMMCR नियम 2017 की धारा 54(6) के तहत 3 माह की समयावधि के अधिग्रहण की कार्यवाही करके वाहन को नीलाम कर दिया जावेगा। यदि वाहन द्वितीय बार अपराध में लिप्त पाया जाता है तो अधिग्रहण की कार्यवाही का समय 3 माह समाप्त नहीं हो जाते किसी भी सूरत में नहीं छोडा जावेगा। अगर सभी समय सीमा समाप्त हो जाती है तो ट्रायल में समय लगने की संभावना को देखते हुए वाहन को पुलिस थाने में खडे रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उक्त वाहन जब्ती दिनांक से लगातार उक्त पुलिस थाना में खड़ा है। जिसकी जप्ती की कार्यवाही खनिज एवं माईनिंग विभाग सवाई माधोपुर द्वारा की जा चुकी हैं। जप्ती के उपरान्त खनिज विभाग ने अपने वरिष्ठ अधिकारी एवं अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को जप्ती की सूचना 72 घंटे में नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है। RMMCR नियम 2017 के नियम 54 (6) के तहत 72 घंटे में राशि की मांग करने पर राशि जमा नहीं कराने की सूरत में	

	धारा 54(6) के अंतर्गत 3 माह के अंदर अधिग्रहण की कार्यवाही कर वाहन को नीलाम करना आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य था। खनिज विभाग द्वारा अधिग्रहण (Consfication) की कार्यवाही करने का भी एक नियम है अधिग्रहण (Consfication) की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व सबसे पहले जो वाहन जप्त हुआ है और इसके उक्त अधिरोपित राशियों जमा नहीं कराई है तो सर्व प्रथम उस वाहन की राजसात कार्यवाही शुरू की जाएगी किसी पर्टिकूलर वाहन की राजसात कार्यवाही बीच में से शुरू नहीं की जा सकती एवं राजसात की कार्यवाही करने से पूर्व सोकाज नोटिस दिया जाएगा, अखबार में साया करना पडेगा व वाहन की नीलामी की निश्चित समय सीमा तय करके बौली लगा कर नीलाम किया जाएगा। नीलाम राशि में से सर्वप्रथम खनिज विभाग का बकाया जमा हो जाएगा उसके बाद बची राशि के लिए वाहन मालिक वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ अपील करेगा और वह राशि उसे लौटा दी जाएगी उक्त प्रकरण में ये कार्यवाही की अमल में नहीं लाई गई है। कोई भी वाहन एक से अधिक बार अवैध खनन लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए भी जप्ती अधिग्रहण (Consfication) की कार्यवाही की समय सीमा 3 माह ही निर्धारित की गई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के नजीरों में ऐसा मत प्रकट किया है कि जब तक अधिग्रहण (Consfication) कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती दूसरी बार बन्द वाहन को जब तक नहीं छोडा जाए लोकिन उक्त मामले को अधिग्रहण की समय सीमा 3 माह समाप्त हो चुकी है एवं अब तक अधिग्रहण कार्यवाही शुरू ही नहीं की गई अगर किसी भी प्रकरण में कार्यवाही शुरू ही नहीं हुई है तो समाप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं है। RMMCR नियम 2017 की धारा 54 (6) के तहत अधिग्रहण (Consfication) करने की कार्यवाही की समय सीमा वाहन के जप्ता होने के 72 घंटे के उपरान्त शुरू हो जाती है। 72 घंटे के उपरान्त ही 3 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है उक्त 3 माह का समय समाप्त हो जाने के पश्चात् किसी भी सूरत में वाहन की अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। प्रार्थी का वाहन दिनांक **09.05.2026** को जप्त हो चुका है जबकि अधिग्रहण की समय सीमा दिनांक **09.08.2026** को समाप्त हो जाती है। उसके उपरान्त RMMCR के नियम 2017 के तहत किसी भी सूरत में अधिग्रहण (Consfication) करने का कोई प्रावधान नहीं है। जब वाहन की निर्धारित समय सीमा में अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू ही नहीं की गई है और 3 माह का निर्धारित समय भी समाप्त हो चुका है तो अधिग्रहण	

(Consfication) की कार्यवाही समाप्त होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जब अधिग्रहण (Consfication) की कार्यवाही शुरू किया जाना आवश्यक हो तो वाहन के मूल बिल की कोई आवश्यकता लेना शेष नहीं रह जाता। प्रार्थी का उक्त वाहन थाना परिसर में खुले मैदान में खड़ा कर रखा है जिससे उक्त वाहन के कल पूर्जे ट्यूब टायर, रंग रोगन खराब होने की पूर्ण सम्भावना हैं। उक्त सुपुर्दगीदार इस बात की अन्डरटेकिंग देने को भी तत्पर है कि भविष्य में श्रीमान् न्यायालय से कोई जुर्माना वाहन पर अधिरोपित किया जाता है वो जमा करा देगा। वाहन का रंग रोगन, हुलिया तब्दील नहीं करेगा, बेचान नहीं करेगा तथा माननीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर स्वयं के खर्चे पर अति शीघ्र वाहन को प्रस्तुत कर देगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के वाहन को सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया।

इस संबंध में अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र का विरोध हुये दौराने बहस जाहिर किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को अभियुक्त से अवैध बजरी निर्गमन के मामले में जप्त किया गया है एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी प्रार्थी द्वारा वाहन की राशि जमा नहीं करवाया जाना अंकित है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र के संबंध में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं केस डायरी व संबंधित मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। केस डायरी व पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर की ओर से FIR संख्या 87/2026 में प्रार्थी के वाहन ट्रेक्टर रजि. संख्या RJ25 RB 7714 को जप्त किया गया है। इस संबंध में यह देखना अनिवार्य है कि सहायक खनि अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग सवाई माधोपुर की ओर से पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट सं. 293 दिनांकित 11.06.2026 एवं 743 दिनांकित 17.07.2026 के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा वाहन की जुर्माना राशि एवं एनजीटी राशि जमा नहीं करवाया जाना जाहिर किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्यालय सहायक खनि अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर की ओर से पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 743 दिनांकित 17.07.2026 में यह अंकन किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुओमोटो रिट याचिका संख्या 02/2026 में दिनांकित 17.04.2026** को निर्णय पारित करते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि *''राष्ट्रीय चंबल घडियाल अभयारण्य के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में व्याप्त अवैध बजरी खनन गतिविधियों की*

रोकथाम और नियंत्रण के लिए निगरानी, निरीक्षण, प्रवर्तन और अंतर विभागीय समन्वय तंत्र को तत्काल मजबूत करने के लिए खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त वाहनों को जप्त कर लिया जावे एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं छोडा जावे।'' साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना में *''चंबल सेन्चुरी से संबंधित जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी एवं कोटा में अवैध खनिज बजरी को निर्गमित करने वाले वाहनों/मशीनों को जप्त किये जाने के उपरांत विभाग द्वारा कम्पाउण्ड नहीं किये जाने बाबत''* आदेश पारित किये गये हैं।

अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.04.2026 की अनुपालना में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना युक्तियुक्त दर्शित नहीं होता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी आशाराम पुत्र भैरूलाल की ओर से पेश हस्तगत सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 11.08.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर